"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 जून 2002—ज्येष्ठ 13, शक 1924

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2002

आदेश

क्रमांक एफ-1-1/2002/रास/यू-3.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं दिनेश नंदन सहाय, कुलाधिपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, प्रोफेसर, गिरिजेश पंत, स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

सही/-
(दिनेश नंदन सहाय)
कुलाधिपति,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर.

Raipur, the 3rd June 2002

ORDER

No. F-1-1/2002/Ras/U-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), I, Dinesh Nandan Sahaya, Kuladhipati of the Guru Ghasi Das Vishwavidyalaya, Bilaspur, hereby appoint Prof. Girijesh Pant, School of International Suties, Jawaharlal Nehru University, New Delhi to be the Kulapati of the Guru Ghasi Das Vishwavidyalaya, Bilaspur.

2. His terms and conditions of service will be governed by statute No. 1 of the Vishwavidyalaya.

Sd/-
(Dinesh Nandan Sahaya)
Kuladhipati,
Guru Ghasi Das Vishwavidyalaya,
Bilaspur.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.